न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रेलमगरा जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती बिन्दुबाला राजावत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या. 49 / 2021
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 29.06.2021
निर्णय दिनांकः 25.02.2026

अनवान

1–.सतोष कुमार पिता सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
2.–राधेश्याम पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
3–.मदनलाल पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
4.–कैलाशचन्द्र पुत्र सोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद

प्रार्थीगण

बनाम

1–अंजली पुत्री अशोक जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
2–.दिप्ती पुत्री अशोक जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
3–.सुरज पुत्र अशोक जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
4–.गीता पत्नि स्व. अशोक जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
5– कल्पना पुत्री उंकारलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
6.–संजयकुमार पुत्र उंकारलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील
7– गीता देवी पत्नि स्व. उंकारलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
8.–महेश पुत्र मनोहरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
9.–कैलाश देवी पत्नि स्व. मनोहरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा
10–हिमाशु पुत्र मनोहरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
11–नंदकिशोर पुत्र शंकरलाल जाति ब्राहम्ण निवासी रेलमगरा तहसील रेलमगरा जिला राजसमंद
12.–तहसीलदार रेलमगरा जिला राजसमंद

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण – श्री रोशनलाल साहु
अधिवक्ता विपक्षीगण– श्री राकेश सनाढय

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

:: निर्णय ::

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम रेलमगरा तहसील क्षैत्र रेलमगरा में प्रार्थीगण के संयुक्त स्वामित्व खातेदारी आधिपत्य की कृषि आराजी संख्या 2382 भूमि स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबदी व नक्शाट्रेस की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत है। यह कि प्रार्थी उक्त आराजी के पश्चिमी दिशा में विपक्षीगण के संयुक्त स्वामित्व खातेदारी की आराजी संख्या 2375 स्थित है। यह कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 2375 में आने जाने एवं काश्त इत्यादि करने के लिए स्थाई रूप से रेकार्डेड कोई रास्ता मोजुद नही है। जिससे प्रार्थीगण मुख्य रास्ता आराजी संख्या 2374 किस्म रास्ता से होते हुऐ आराजी संख्या 2375 के उत्तरी दिशा में पश्चिम से पुर्व उक्त आराजी संख्या 2375 में से होकर प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 2382 में आते जाते रहे है। जहां वर्तमान् में विपक्षीगण द्वारा मुख्य रास्ता आराजी संख्या 2374 से आराजी संख्या 2375 में प्रवेश के स्थान पर तारबदी लगाकर उक्त रास्ते को बाधित करते हुऐ बंद कर दिया तथा उक्त आराजी संख्या 2375 में उत्तरी ओर गुजरते हुऐ पश्चिम से पुर्व जाने वाले करीब 15 फिट चौडाई वाले रास्ते को हंकवाकर आराजी संख्या 2375 में एवं अपने आराजी संख्या 2382 की हंकाई बुवाई, निराई, गुडाई आदि करने तथा ट्रेक्टर, गाडी, बैलगाडी आदि लाने ले जाने में परेशानिया उत्पन्न कर दी है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की ओर से उक्त आशय का प्रार्थना पत्र विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत किया जाना नितान्त आवश्यक है। यह कि प्रार्थीगण की उक्त आराजी संख्या 2382 रकबा 0.4856 हेक्टेयर में आने जाने के लिए विपक्षीगण की उक्त आराजी में मोजुद रास्ते के अलावा अन्य कही कोई रास्ता मोजुद नही है तथा विपक्षीगण आये दिन प्रार्थीगण के आवागमन, हल, बैल, बैलगाडी ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने में बाधा एवं परेशानी उत्पन्न करते रहते है जिससे प्रार्थीगण विधिवत् रूप से विपक्षीगण की उक्त आराजी संख्या 2375 में उत्तरी दिशा में मुख्य रास्ता आराजी संख्या 2374 से प्रवेश होकर आराजी संख्या 2375 में पश्चिम से पुर्व सम्पुर्ण लम्बाई में 15 फिट चौडाई का रास्ता प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2382 में काश्त आदि किये जाने के लिये चाहते है जो विधिवत् रूप से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थीगण को प्रदान किया जावे जिसके लिये आवश्यक विधिक प्रावधानो की पालना करने के लिए प्रार्थीगण तैयार एवं तत्पर है। यह कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त अनुसार रास्ते बाबत् विपक्षीगण के पुर्व में कई बार कहा है लेकिन आये दिन विवाद करते हुऐ रास्ते का कोई स्थाई समाधान नही किया तथा अभी 10 दिन पूर्व विपक्षीगण ने उक्त रास्ते की दिशा में तारबदी लगाकर रास्ते को बद करते हुऐ उसके अलामात् भी समाप्त कर दिये जिससे प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का हेतुक आज से 10 दिन पूर्व से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह कि विपक्षी संख्या 12 भूमिधारक होने से सभावित

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

आपत्ति के निराकरण हेतु उन्हे उक्त प्रार्थना पत्र में आवश्यक पक्षकार बनाया गया अन्य कोई विनिर्दिष्ट अनुतोष उनके विरूद्व नही चाहा गया है। यह कि प्रार्थीगण ने उपरोक्त आराजी संख्या 2382 में प्रार्थीगण के अलावा उनकी माता कंचन देवी पत्नि स्व. सोहनलाल का नाम भी अंकित है तथा विपक्षीगण की उक्त आराजी संख्या 2375 में भी सहखातेदार के रूप में शान्ता देवी पत्नि स्व. भंवरलाल का नाम भी अंकित है किन्तु उपरोक्त दोनो सहखातेदारान् की मृत्यु हो जाने से तथा मृतक कंचन देवी के विधिक वारिसान् उपरोक्त अंकित प्रार्थीगण होने से एवं मृतक कंचन देवी के विधिक वारिसान् उपरोक्त अंकित प्रार्थीगण होने से एवं मृतक शान्ता देवी कि विपक्षी संख्या 11 के रूप में उक्त प्रार्थना पत्र में पहले से ही संयोजित होने से मृतक को कोई पक्षकार नही बनाया जाकर उनके विधिक वारिसान पूर्व से ही मामले में पक्षकार के रूप में संयोजित है। यह कि वादग्रस्त भूमि गांव रेलमगरा में मोजुद होने से उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार न्यायालय आपको प्राप्त है।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2382 में आवागमन हेतु रास्ता विपक्षीगण की कृषि आराजी संख्या 2375 के उत्तरी दिशा में पश्चिम से पूर्व आराजी संख्या 2362 किस्म नहर के सहारे करीब 15 फीट चौडाई एवं सम्पुर्ण लम्बाई में आराजी संख्या 2374 मुख्य रास्ते से प्रवेश होकर प्रार्थीगण की आराजी संख्या 2382 में प्रवेश होने तक सम्पुर्ण लम्बाई में 15 फिट चौडा रास्ता घोषित किया जाकर उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ते के रूप में प्रार्थीगण के नाम पर दर्ज की जावें। इसके लिए आप न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तो की पालना करने के लिए प्रार्थीगण सदैव तैयार एवं तत्पर है। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किए गए। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र की नकल मिली विपक्षीगण की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत किया कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 01 का विवरण प्रार्थीगण स्वय सिद्व करे। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 02 के विवरणो विपक्षीगण की आराजी संख्या 2375 मौजा रेलमगरा में स्थित है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 03 का विवरण गलत बेबुनियाद एवं झुठी तथ्यो पर आधारित होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी संख्या 2382 में आने जाने एवं काश्त इत्यादि करने के लिये उनके पास वैकल्पिक रास्ता विधमान है तथा उक्त रास्ते से ही प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी संख्या 2382 में शुरू से आते जाते हल, बैल, बैलगाडी, इत्यादि लाते ले जाते रहे है प्रार्थीगण का विपक्षीगण की आराजी संख्या 2375 से कभी भी अपने खेत में आने जाने, हल, बैल, बैलगाडी, इत्यादि लाने ले जाने का कोई रास्ता मौजुद नही है। प्रार्थीगण अपनी कृषि आराजी संख्या 2382 में आने जाने, बैल, हल, बैलगाडी लाने ले जाने का कदिमी रास्ता रेलमगरा से फमहनगर जाने वाली रोड से

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

पश्चिमी दिशा की ओर स्थित रास्ता जो आराजी संख्या 1731, 1730, 1729, 3611/1729 की उत्तरी पाली पर पुर्व पश्चिम की ओर जाता हुआ 3611/1729 व 3661/1917 के मध्य स्थित आम रास्ता आराजी संख्या 1919 स्थित होकर उक्त आम रास्ता आगे बढता हुआ 1963 की पुर्वी पाली के सहारे सहारे उत्तर से अक्षिण की ओर बढता हुआ आराजी संख्या 1962, 1960, 1959 व 1958 के पुर्वीपाली से उत्तर से दक्षिण बढता हुआ आगे आराजी संख्या 1950, 1951, व 1952 के पश्चिमी पाली पर स्थित होकर उत्तर से दक्षिण की ओर बढता हुआ सरकारी नहर आराजी संख्या 2362 पर मिलता है तथा आराजी संख्या 1953 के दक्षिणी पुर्वी सीमा से उक्त रास्ता उक्त आम नहर के उत्तरी ओर स्थित आम रास्ते से पुर्व से पश्चिम की ओर बढता हुआ आराजी संख्या 2383 की पश्चिमी पाली से प्रवेश कर आगे उत्तर से दक्षिण की ओर बढकर प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 2382 में प्रवेश करते है। तथा उक्त रास्ते का ही प्रार्थीगण आज दिन तक उपयोग उपभोग कर कृषि कार्य फसल इत्यादि बोने लाने ले जाने के रूप में आज दिन तक प्रयुक्त करते चले आ रहे है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त कालम में जो रास्ता वर्णित किया गया है वह रास्ता मौके पर ही मौजुद नही है मात्र विपक्षीगण को परेशान करने की गरज से गलत वर्णित करते हुए उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थीगण द्वारा शुरू से अपने बाप दादाओ के समय से उपरोक्त वर्णित रास्ते से ही आते जाते रहे है एवं आज भी उक्त रास्ते से ही अपने खेतो पर आ जा रहे है। प्रार्थीगण द्वारा विपक्षीगण के विरूद्व गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। यह कि प्रार्थना पत्र कि कलम संख्या 04 का विवरण गलत, बेबुनियाद एवं झुठे तथ्यो पर आधारित होने से अस्वीकार है। प्रार्थीगण का जवाब प्रार्थना की कलम संख्या 03 के अनुसार वैकल्किप रास्ता आज दिन तक मौजुद है तथा प्रार्थीगण उसी रास्ते से आज दिल तक अपनी कृषि आराजी संख्या 2382 में आते जाते रहे है। विपक्षीगण की कृषि आराजी संख्या 2375 की तरफ प्रार्थीगण का कोई रास्ता न तो मौजुद था न मौजुद है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजुद है तथा उसी रास्ते का सदीप से प्रार्थीगण उपयोग उपभोग कृषि कार्य अनवरत रूप से उक्त रास्ते से करते चले आ रहे है मात्र विपक्षीगण को परेशान करने की गरज से तथा नवीन रास्ता कायम करने के उद्वेश्य से उक्त झुठा प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया है जो किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नही है जहा वैकल्पिक रास्ता विधमान है वहा कानुन नवीन रास्ता कायम नही किया जा सकता प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र ही विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 05 का विवरण गलत, बेबुनियाद एवं गलत होकर अस्वीकार है। न तो प्रार्थीगण का विपक्षीगण की ओर कोई रास्ता ही मौजुद है तथा न ही उक्त रास्ते का प्रार्थीगण ने कभी कोई उपयोग ही किया सारे कथानक गलत वर्णित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जब विपक्षीगण की ओर प्रार्थीगण का कोई रास्ता ही नही है तो उसे विपक्षीगण द्वारा बंद करने को प्रश्न ही पैदा नही होता विपक्षीगण अपनी कृषि आराजी का समुचित उपयोग करने हेतु स्वतत्र है प्रार्थीगण द्वारा बिना हेतुक के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो काबिल निरस्त होने

सहायक कलक्टर
(उप खण्ड अधिकारी)
शैलमगरा

योग्य है। प्रार्थीगण के पास वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। यह कि प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 6,7,8,9 का विवरण कानुनी होकर जांच से सम्बधित है। शेष प्रार्थीगण की प्रार्थना है जो किसी भी रूप में स्वीकार योग्य नही है। विशेष कथन – यह कि प्रार्थीगण द्वारा मात्र विपक्षीगण को जली व परेशान करने की गरज से व नवीन रास्ता वैकल्पिक रास्ता विधमान होते हुए भी प्रस्तुत किया गया है जो विपक्षीगण के मुकाबले का बिल निरस्त होने योग्य है प्रार्थीगण अपने पुर्वजो के समय से अपनी उक्त आराजी संख्या 2382 में आने जाने, हल, बैल, बैलगाडी लाने ले जाने, ट्रेक्टर, ट्रोली इत्यादि लाने ले जाने के रूप में उनके पास वैकल्पिक रास्ते के रूप में कदिमी रास्ता रेलमगरा से फतहनगर जाने वाली आम रोड से पश्चिमी दिशा की ओर स्थित रास्ता जो आराजी संख्या 1731, 1730, 1729, 3611/1729 की उत्तरी पाली पर पुर्व से पश्चिम की ओर जाता हुआ 3611/1729 व 3661/1917 के मध्य स्थित आत रास्ता आराजी संख्या 1919 स्थित होकर उक्त आम रास्ता आगे बढता हुआ 1963 की पूर्वी पाली के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण की ओर बढता हुआ आराजी संख्या 1962, 1960, 1959, व 1958 के पुर्वी पाली से उत्तर से दक्षिण बढता हुआ आगे आराजी संख्या 1950, 1951, व 1952 के पश्चिमी पाली पर स्थित होकर उत्तर से दक्षिण की ओर बढता हुआ सरकारी नहर आराजी संख्या 2362 पर मिलता है तथा आराजी संख्या 1953 के दक्षिणी पुर्वी सीमा से उक्त रास्ता उक्त आम नहर के उत्तरी ओर स्थित आम रास्ते से पुर्व से पश्चिम की ओर बढता हुआ आराजी संख्या 2383 की पश्चिमी पाली से प्रवेश कर आगे उत्तर से दक्षिण की ओर बढकर प्रार्थीगण अपनी आराजी संख्या 2382 में प्रवेश करते है तथा उक्त रास्ते का ही प्रार्थीगण आज दिन तक उपयोग उपभोग कर कृषि कार्य पर फसल इत्यादि बोने लाने ले जाने से रूप में आज दिन तक प्रस्तुत करते चले आ रहे है। यह कि जवाब प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा में प्रार्थीगण का अपनी कृषि आराजी संख्या 2382 में आने जाने हल, बैल, बैलगाडी, ट्रेक्टर इत्यादि लाने ले जाने का वैकल्पिक रास्ता को हल्के तोते कलर से दर्शाया गया है उक्त नजरी नक्शा जवाब प्रार्थना पत्र का अभिन्न अंग है जिस कारण प्रार्थीगण द्वारा उक्त नवीन रास्ता किसी भी रूप में कायम कानुन नही करवाया जा सकता है न ही नवीन रास्ता कायम कराने के प्रार्थीगण कानुन अधिकारी है।

अतः प्रार्थना पत्र हैकि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें। ताईद में शपत्र पत्र प्रस्तुत है।

प्रार्थी अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना–पत्र के समर्थन में नक्शा ट्रेस वर्तमान जमाबन्दी प्रस्तुत की गई। तहसीलदार रेलमगरा द्वारा भी रास्ते के सम्बन्ध में अपनी जांच रिपोर्ट भिजवाई गई। जिसमें प्रार्थी के इस रास्ते के अलावा अन्य रास्ता कोई उपलब्ध नहीं चाहा गया रास्ता नितान्त आवश्यक है, तथा चाहा गया रास्ता नक्शा ट्रेस अनुसार इंगित है जो लाल स्याही से दर्शाया गया है। प्रस्तावित रास्ते में एक नीम का पेड है जिसकी अनुमानित

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा

किम्मत 2000/– रूपये है। प्रस्तावित रास्ते की लम्बाई 84 मीटर एंव चौडाई 4 मीटर है जिसका कुल क्षैत्रफल 0.0336 हैक्टेयर है। प्रस्तावित की गई जिसकी वर्तमान डी.एल.सी. दर 2,63117/– प्रति बीघा के अुनसार राशि 54,625/– रू. बनती हैं तथा दुगनी दर अनुसार 10,9250/– रूपये बनते रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

उभयपक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं पत्रावली एंव उपलब्ध रिकोर्ड व तहसीलदार रेलमगरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तो जाहीर आया कि वादग्रस्त भूमि पर आने जाने हेतु डोटेड रास्ता पुर्व से ही विधमान है, विशेष कथनानुसार जो नहर के सटमा चला आ रहा है, जिसका नजरी नक्शा विपक्षी द्वारा प्रस्तुत कर रखा है। जिससे नया रास्ता नही दिया जा सकता है

उक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाता हैं पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कि जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(विन्दुवाला राजावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी रेलमगरा
(राजसमंद)

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
रेलमगरा